'लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई केजरीवाल सरकार का दिल्ली प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण है'

सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान बैंच ने दिल्ली सरकार और केन्द्र सरकार के बीच प्रशासन पर नियंत्रण को लेकर लम्बे समय से चले आ रहे विवाद का पटाक्षेप कर दिया

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 11 मई। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल का राजनीतिक कद और बढ़ाते हुए फैसला दिया है कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को वास्तविक सत्ता मिलनी चाहिए और देश की राजधानी के प्रशासन पर उसका पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए।

इस फैसले ने केन्द्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे इस दीर्घकालीन विवाद पर विराम लगा दिया है कि दिल्ली के शासन में नौकरशाही पर प्रशासनिक नियंत्रण किसका रहेगा।

आम आदमी पार्टी (आप) की दिल्ली में वर्ष 2014 में जब से सरकार आई है, तब से केन्द्र और दिल्ली सरकार के बीच सत्ता को लेकर निरंतर संघर्ष रहा है और दोनों ही सरकारें इस मामले में अपना-अपना पक्ष प्रभावी ढंग से रखती आयी हैं।

सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों वाली एक बैंच ने सर्वसम्मति से एक निर्णय की घोषणा की कि राष्ट्रीय राजधानी की निर्वाचित सरकार का अपने विधायी क्षेत्राधिकार में ना आने वाले विषयों के

- **चीफ जस्टिस डी.वाय. चन्द्रचूड़ ने कहा, अगर लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित सरकार को प्रशासनिक अधिकारियों पर नियंत्रण नहीं दिया जाएगा तो सामूहिक उत्तरदायित्व कमजोर पड़ जाएगा।**
- **सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, केन्द्र को सिर्फ तीन मामलों में ही अधिकार है, ये हैं- सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस।**

अलावा सभी सेवाओं पर नियंत्रण होना चाहिए।

चीफ जस्टिस ऑफ इण्डिया (सी.जे.आई.) डी. वाय. चन्द्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में वास्तविक सत्ता राज्य के निर्वाचित अंग के पास होनी चाहिए इस निर्वाचित इकाई का प्रशासन पर नियंत्रण होना जरूरी है। सी.जे.आई. ने कहा कि "यदि लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अधिकारियों को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान नहीं की जाती है तो समग्र उत्तरदायित्व की भावना कमजोर पड़ जाएगी। यदि अधिकारी मंत्रियों को रिपोर्ट करना बंद कर देंगे तो समग्र उत्तरदेयता का प्रारूप बेअसर हो जाएगा।"

कोर्ट ने ध्यान दिलाया कि केन्द्र सरकार की कार्यवाहरक शक्तियां अनुसूची-2 की केवल तीन प्रविष्टियों पर ही लागू हैं- सार्वजनिक व्यवस्था, भूमि और पुलिस।

सी.जे.आई. डी. वाय. चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता वाली एक बैंच, जिसमें जस्टिस एम.आर. शाह, जस्टिस कृष्णा मुरारी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा भी थे, ने केन्द्र सरकार की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट ए.एम. सिंघवी व दिल्ली सरकार के साढ़े चार दिन तक निवेदन सुनने के बाद गत 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

शीर्ष अदालत ने जस्टिस अशोक भूषण के इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं है कि दिल्ली सरकार का राज्य की सेवाओं पर कोई नियंत्रण नहीं है।

जस्टिस ए.के. सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की एक खण्डपीठ ने इस मुद्दे पर वर्ष 2019 में एक खण्डित फैसला दिया था। उसमें जस्टिस भूषण ने जहां पर माना था कि राज्य की समस्त प्रशासनिक सेवाओं पर दिल्ली सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है, वहीं जस्टिस सीकरी उनकी बात से सहमत नहीं थे।

आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार और दिल्ली में केन्द्र द्वारा नियुक्त उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के बीच चल रहे संघर्ष के समाधान का काम सुप्रीम कोर्ट को सौंपा गया था।

यह विवाद इसे लेकर था कि देश की राजधानी की प्रशासनिक सेवाएं केन्द्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आती है या दिल्ली की निर्वाचित सरकार के।

दिल्ली की सेवाओं पर नियंत्रण के अधिकार को लेकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार व केन्द्र की कार्यपालक एवं विधायी शक्तियों से संदर्भित इस कानूनी मुद्दे पर सुनवाई के लिए संविधान बैंच का गठन किया गया था।

दिल्ली की सेवाओं पर नियंत्रण के इस मुद्दे पर केन्द्र सरकार के अनुरोध के बाद तीन जजों की एक बैंच ने इस प्रकरण को गत वर्ष 6 मई को पांच जजों की संविधान बैंच को रैफर कर दिया था।

दिल्ली सरकार द्वारा यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पुन: ले जाने की वजह 14 जनवरी 2019 को दिया गया एक खण्डित फैसला था, जिसमें जस्टिस अशोक भूषण और ए.के. सीकरी (अब दोनों ही सेवानिवृत्त) की एक बैंच ने सी.जे.आई. से सिफारिश की थी कि इस मुद्दे का अंतिम समाधान करने के लिए तीन जजों की एक बैंच का गठन किया जाए।

जस्टिस भूषण ने कहा था कि नौकरशाही के शीर्ष स्तर (संयुक्त निदेशक और उसके ऊपर) के पदों पर ट्रांसफर या पोस्टिंग केवल केन्द्र सरकार द्वारा ही की जा सकती है तथा अन्य नौकरशाहों से संबंधित मसलों पर मत भिन्नता की स्थिति में लैफ्टिनैंट गवर्नर की राय मान्य होगी।

वर्ष 2018 में, पांच जजों वाली एक संविधान बैंच ने सर्वसम्मति से व्यवस्था दी थी कि दिल्ली के लैफ्टिनैंट गवर्नर निर्वाचित सरकार की सहायता और सलाह से बंधे हुए हैं और दोनों को ही एक दूसरे के साथ सौहाद्रपूर्ण तरीके से काम करने की जरूरत है।

नवीन पटनायक ने नीतीश कुमार के प्रयासों की हवा निकाली

नई दिल्ली, 11 मई। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने के बाद थर्ड फ्रंट बनने की किसी भी संभावना से साफ इंकार किया है। सी.एम. नवीन पटनायक की यह टिप्पणी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन विपक्षी एकता के लिए बड़ा झटका बताई जा रही है।

मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचे। इस दौरान उन्होंने साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कुछ नेताओं द्वारा विपक्षी दलों को एकजुट करने की पहल पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई संभावना नहीं है।

2700 करोड़ रू....

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गौरतलब है कि, सेना से रिटायर रणवीर सिंह व अन्य पर आरोप है कि, उन्होंने अलग-अलग कम्पनियाँ बनाकर हजारों लोगों को गुजरात की धोलेरा सिटी में जमीन में निवेश करने पर भारी-भरकम रिटर्न का झांसा दिया था। हजारों पीड़ितों से करीब 27 सौ करोड़ रुपए ठगने के बाद आरोपी अंडरग्राउंड हो गए और विदेश भागने की योजना बनाने लगे। हालांकि लुक आउट सर्कुलर जारी होने के कारण वे विदेश नहीं भाग सके। लेकिन, फरार होकर राजस्थान के साथ-साथ गुजरात, हरियाणा और दिल्ली सहित अन्य राज्यों में रहे। आखिर में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया।

जे.डी.यू. के पूर्व अध्यक्ष आर.सी.पी. सिंह ने भाजपा जॉइन की

नई दिल्ली, 11 मई (वार्ता)। जनता दल यूनाइटेड (जद यू) के पूर्व अध्यक्ष एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री राम चन्द्र प्रसाद सिंह ने गुरुवार को यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में कुमार का अब कुछ नहीं बचेगा। वह पलटीमार थे, हैं और रहेंगे।

भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, भाजपा के महासचिव अरुण सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी एवं सह मीडिया प्रभारी संजय मयूख ने आर.सी.पी. सिंह का भाजपा में स्वागत किया।

इस मौके पर प्रधान ने कहा कि सिंह जदयू में हमेशा बुनियादी मूल्यों से बंधे रहे। किसानों, पिछड़ों एवं अति पिछड़ों के मुद्दों पर मुखर रहे। जदयू के राजनीतिक संगठन को मजबूत बनाने के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। उन्होंने कई दिनों तक जदयू के अध्यक्ष के रूप में अपने अनुभव से भाजपा के साथ राजनीतिक गठबंधन को सुचारू रूप से चलाया लेकिन नीतीश कुमार पीछे से घात करते रहे।

भाजपा में शामिल होने पर गर्व व्यक्त करते हुए आर.सी.पी. सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह एवं प्रधान का आभार प्रकट किया।

- **इस मौके पर आर.सी.पी. सिंह ने नीतीश कुमार पर जमकर निशाना साधा और कहा, वे सदा पलटीमार थे, हैं और रहेंगे।**

उन्होंने जदयू के नेता नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह कहते हैं कि देश में कोई काम नहीं हो रहा है, लेकिन वह यह नहीं बता पाते हैं कि आखिर भारत दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे बन गया। वह कहते हैं कि वह अपराध एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं लेकिन काम केवल कुर्सी बचाने का करते हैं। तीन दिन से विपक्षी एकता के लिए तीन प्रदेशों में घूम रहे हैं।

सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार पी.एम. बनने की ख्वाहिश रखते हैं। तो वह पहले भी पी.एम. थे, आज भी पी.एम. हैं और कल भी पी.एम. यानी पलटीमार रहेंगे।

उन्होंने कहा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को किस ऊंचाई पर पहुंचाया है और देश को नयी पहचान दी है। भारत जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है। सारा बिहार चाहता है कि जिस प्रकार से केंद्र में मोदी सरकार काम कर रही है, उसी तरह बिहार में भी गरीबों, पिछड़ों के लिए काम हो।

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और सूचना मंत्री सुप्रीम कोर्ट के जज पर बुरी तरह भड़के

सूचना मंत्री मरियम औरंगज़ेब ने यह तक कहा कि, सुप्रीम कोर्ट जज को न्यायाधीश पद छोड़ देना चाहिये और इमरान खान की पार्टी पी.टी.आई. जॉइन कर लेनी चाहिये

इस्लामाबाद, 11 मई। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी को रद्द करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भड़क गई हैं। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि खजाना लूटने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। एक क्रिमिनल को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। इमरान खान को रिहा करने वाले पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कोर्ट छोड़ देना चाहिए और इमरान खान की पार्टी पी.टी.आई. को जॉइन कर लेना चाहिए।

इससे पहले मरियम औरंगजेब जो कि शहबाज सरकार में सूचना मंत्री हैं,

- **इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद उस्मान ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं, इमरान खान के पक्ष में अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया है।**

उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट को धमकाया था। मरियम औरंगजेब ने कहा कि सियासत दानों के घर, राना सनाउल्लाह के घर जला दिए। क्या वे इस मुल्क के नहीं हैं? रेडिया पाकिस्तान, एंबुलेंस, सरकारी वाहन जले, क्या वे मुल्क के नहीं हैं?

मरियम औरंगजेब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इमरान खान को करप्शन के केस में जवाब देने हैं। जब पुलिस वारंट लेकर लाहौर गई थी, तब पुलिस वालों के लाहौर में सिर फोड़े गए थे। यदि इमरान को तब सजा दी गई होती तो आज मुल्क जल न रहा होता। इमरान पर निशाना साधते हुए पाकिस्तान की सूचना मंत्री मरियम ने कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या ऐसे इमरान खान को अदालत रिलीफ देगी? वो इमरान जो कि न्याय का मुजरिम है, रिमांड पर है, देश और समाज पर जो हमलावर है, क्या उसे सुप्रीम कोर्ट छूट देगी? अगर सुप्रीम कोर्ट राहत देगी तो देश को कौन बचाएगा?

इमरान खान की सुप्रीम कोर्ट से रिहाई पर पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद उस्मान का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं अपनी ख्वाहिश का इजहार किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि इमरान खान की टांग नहीं टूटी है। दरअसल, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को रद्द कर दिया है।

'पायलट की रैली ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

नेताओं, संगठनों को टारगेट किया जाये। गुर्जर समाज की हमेशा उपेक्षा हुई है।

देश में केन्द्र में कोई गुर्जर मंत्री नहीं है, किसी बोर्ड का गुर्जर अध्यक्ष नहीं है। राजस्थान में भी किसी गुर्जर महापुरूष का स्मारक नहीं बनाया गया। आरपीएससी, यूपीएससी में गुर्जर समाज कोई सदस्य नहीं है। उन्होनें यह आरोप भी लगाया कि कांग्रेस ने कभी भी गुर्जर समाज के नेता को राज्यसभा में सदस्य बनाकर नहीं भेजा।

पोसवाल ने कहा कि केन्द्रीय सुरक्षा एंजेसी ने सचिन पायलट पर हमला होने का अंदेशा जताया है। उन्होनें केन्द्र व राज्य सरकार से पायलट की सुरक्षा पर उच्च स्तरीय समीक्षा करने की मांग की है। उन्होनें कहा कि पायलट के पिता स्व.राजेश पायलट की मौत के समय केन्द्र में एनडीए व राज्य में गहलोत की सरकार थी। उन्होनें कांग्रेस पर गुर्जरों को हाशिए पर रखकर राजनीति करनें का आरोप लगाया।

हिन्दू युवती ने पूर्ण सुरक्षा के साथ दरगाह में नमाज पढ़ने की इजाज़त मांगी

नैनीताल, 11 मई (वार्ता)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश की एक हिन्दू युवती की ओर से रूड़की की पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने और उसे सुरक्षा मुहैया कराये जाने के मामले में सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही युवती को असुरक्षा की दृष्टि से स्थानीय पुलिस थाना में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं।

मध्य प्रदेश नीमच निवासी भावना व फरमान की ओर से एक याचिका दायर कर अदालत से पिरान कलियर दरगाह में नमाज पढ़ने की अनुमति देने और उसे सुरक्षा मुहैया कराये जाने की मांग की गयी है। इस मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की युगलपीठ में हुई।

याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह रूड़की के रोशनाबाद में एक

- **उत्तराखण्ड हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश की इस युवती की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा है तथा उसको सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है।**
- **याचिकाकर्ता युवती की ओर से कहा गया है कि, वह रुड़की के रोशनाबाद में एक हर्बल फैक्ट्री में नौकरी करती है। स्थानीय पिरान कलियर दरगाह में उसकी आस्था है। वह दरगाह में नमाज अदा करना चाहती है।**

हर्बल फैक्ट्री में नौकरी करती है। स्थानीय पिरान कलियर दरगाह में उसकी आस्था है। वह दरगाह में नमाज अदा करना चाहती है। उसे कट्टरवादी संगठनों से खतरा है। इसलिये उसे सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही नमाज अदा करने की अनुमति दी जाये।

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेश युवती से अदालत ने पूछा कि दरगाह में ही क्यों नमाज अदा करना चाहती है। ए घर में भी नमाज पढ़ी जा सकती है। इसके जवाब में उसने कहा कि दरगाह में उसकी आस्था है और उससे प्रभावित है। इसलिये वहां नमाज पढ़ना चाहती है।

याचिकाकर्ता की अधिवक्ता शीतल सेलवाल ने बताया कि अदालत ने अपने आदेश में कहा कि दरगाह जाने से पूर्व वह स्थानीय थाना को प्रार्थना पत्र दे ताकि उसे सुरक्षा मुहैया करायी जा सके।

रोचक व लंबी कहानी है...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिसे पूरा करते हुये उन्होंने सोनिया से मिलने के लिये गहलोत को समय दिलाया। इस मुलाकात का उपयोग उन्होंने राहुल गांधी पर काम करने के लिये किया।

गहलोत ने रणदीप सिंह सुरजेवाला का उपयोग किया राहुल गांधी को कहलवाया कि सचिन पायलट युवा है तथा उनके पास अभी काफी समय है तथा इसलिये इस समय उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत नहीं है। सुरजेवाला ने टीम गहलोत द्वारा तैयार की गई इस दलील से काम लिया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी पहुँच गई है तथा उसने पंजाब पर कब्जा कर लिया है क्योंकि कांग्रेस कमजोर होने लगी थी। ऐसी ही स्थिति राजस्थान में होगी क्योंकि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के बिखरे हुये वोटों पर कब्जा करने की तैयारी कर रही है क्योंकि गहलोत सचिन पायलट का काम बिगाड़ने के लिये जी-जान लगा देंगे। उन्होंने कहा कि इसके फलस्वरूप कांग्रेस सरकार गिर भी सकती है तथा चुनावों से 6 महीने पहले ऐसा जोखिम क्यों लिया जाये।

ऐसे ही तर्क लेकर राहुल गांधी के पास अन्य नेता भी भेजे गये। गैर-राजनैतिक तथा भोले-भाले राहुल गांधी, जिनका मुख्य उद्देश्य अडानी एवं मोदी को परेशान करना है, अडानी द्वारा बनाये तथा बिछाये गये जाल में फँस गये।

राहुल को राजी करने के लिये और क्या-क्या उपाय किये गये, यह अब भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रियंका की खामोशी एक महत्वपूर्ण बिन्दु है क्योंकि राहुल अधिकांश मुद्दों पर सख्त रूख अपनाने की स्थिति में नहीं देखे गये हैं।

सचिन पायलट से बहुत से वादे किये गये लेकिन वे सब थोथे साबित हुये। गोल-पोस्ट बदलता रहा तथा अब यह कर्नाटक चुनावों की समाप्ति बन चुका है। राजस्थान के लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, देख रहे हैं।

अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे की पीठ में छुरा भौंक कर तथा उन पर प्रहार करके शीर्ष भाजपा नेतृत्व को उपकृत किया हैं क्योंकि भाजपा नेतृत्व राजे की साख खराब करना तथा उन्हें कमजोर स्थिति में पहुँचा देना चाहता है। भाजपा के दोनों शीर्ष नेताओं तथा अशोक गहलोत के बीच का संबंध साफ हो गया है तथा यह मेलजोल और बेहतर रूप लेता जा रहा है।

ऐसी भी रिपोर्ट हैं कि सुरजेवाला भी भाजपा नेतृत्व के साथ मेलजोल पैदा कर लिया है तथा सुरजेवाला के जोर देने पर ही बजरंग दल पर रोक लगाने का बिन्दु कर्नाटक के चुनावी घोषणा पत्र में जोड़ा गया था जिसके कारण कर्नाटक के अनेक पार्टीजन तथा घोषणा पत्र समिति के प्रमुख एवं सदस्य नाराज़ हो गये थे।

इसे वक्त की विडम्बना ही कहा जायेगा कि राहुल गांधी को एक ऐसे व्यक्ति ने पछाड़ दिया है, जिससे उन्हें नफरत है- गौतम अडानी।

भाजपा को दो ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दिए गए थे क्योंकि मीटिंग में भाग लेने के लिए "व्हिप" भी जारी किया जा चुका था।

इस बीच, दिल्ली सरकार से संबंधित कोर्ट के निर्णय को आप सरकार के आए वर्ष के संघर्ष की परिणती के रूप में देखा जा रहा है। मई 2015 में केन्द्र सरकार ने एक एम.एच.ए. अधिसूचना के जरिए संविधान में संशोधन किया था, जिसके तहत भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के अलावा, सेवाएं (दिल्ली सरकार के भीतर ट्रांसफर-पोस्टिंग) भी लैफ्टिनैंट गवर्नर के अधिकार क्षेत्र में कर दी गईं।

एक विस्तृत एवं दीर्घ विधिक के बाद कोर्ट ने आज फैसला दिया कि लैफ्टिनैंट गवर्नर निर्वाचित सरकार की मदद और सलाह से बंधे होंगे।

डी.यू. ने राहुल गांधी को नोटिस भेजा "ट्रैसपासिंग" ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उत्कृष्टता को परिभाषित करने वाला एकमात्र का मानदण्ड बन गया है।

एक अन्य घटना के अन्तर्गत, दिल्ली विश्वविद्यालय के हिन्दू कॉलेज ने 20 से अधिक विद्यार्थियों को दो माह के लिये निलम्बित करने के साथ ही, उन पर 10,000 रू. का जुर्माना कर दिया है क्योंकि उन्होंने पिछले महीने वार्षिक सांस्कृतिक आयोजन को लेकर प्राचार्य के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया था।

राहुल गांधी को भेजे गये दो पृष्ठों के नोटिस में युनिवर्सिटी प्रोवोस्ट के.पी. सिंह ने कहा है कि यह घटना अनाधिकृत प्रवेश एवं हस्तक्षेप तथा गैर जिम्मेदार व्यवहार के समकक्ष है। नोटिस में कांग्रेस नेता से कहा गया है कि वे भविष्य में ऐसा कोई कदम उठाना "बंद" कर दें।

प्रोवोस्ट ने कहा है कि तीन वाहनों के साथ परिसर में गांधी के "अप्रत्याशित प्रवेश" से छात्रावास के निर्धारित नियम भंग हुये हैं।

गांधी शुक्रवार को विश्वविद्यालय के पोस्ट-ग्रेजुएट मैन'स होस्टल गये थे, वहाँ कुछ छात्रों के साथ संवाद किया था तथा उनके साथ लंच लिया था।

नोटिस में कहा गया है: "6 मई 2003 को होस्टल की प्रबंध समिति की आपातकालीन मीटिंग, जिसमें डीन स्टूडेंट्स वैलफेयर एवं प्रॉक्टर ऑफ द युनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी उपस्थित थे, ने सर्वसम्मति ने तय किया है तथा दृढ़ संकल्प लिया है कि एक राष्ट्रीय दल के ज़ैड प्लस सुरक्षा प्राप्त नेता का इस प्रकार का आचरण गरिमा के परे है।"

नोटिस आगे कहता है, "यह छात्रावास, युनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1922, तथा इसके स्टेट्यूट्स, ऑर्डिनेंसेज, रेग्यूलेशंस तथा इसके अपने "रूल्स ऑफ रेजिडेन्स", "रूल्स रिगार्डिंग डाइनिंग हॉल" एंड "गेस्ट्स" द्वारा शासित एवं संचालित है ताकि छात्रावास का निर्विघ्न संचालन, इसमें रहने वाले विद्यार्थियां का कल्याण एवं समुचित अनुशासन बनाये रखना संभव हो सके।"

नोटिस में आगे कहा गया है: "कहने की आवश्यकता नहीं कि छात्रावास-प्रशासन के पास ऐसी किसी भी गतिविधि को रोकने के अधिकार सुरक्षित हैं, जो प्रशासन के अनुसार, निर्धारित नियमों के विरूद्ध हों। छात्रावास में समुचित अनुशासन बनाये रखने के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में, इन शर्तों का "हैन्डबुक ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रूल्स ऑफ द होस्टल" के नियम 15.13 में स्पष्ट उल्लेख है। नोटिस में कहा गया है कि छात्रावास के प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों ने अनाधिकार प्रवेश एवं गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के समकक्ष इस घटना की निन्दा की है।

नोटिस में कहा गया है, इसके अतिरिक्त, इस घटना ने उस समय छात्रावास में मौजूद सभी लोगों को शारीरिक नुकसान एवं सुरक्षा के गंभीर एवं आसन्न जोखिम की स्थिति में पहुँचा दिया था। उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुये, होस्टल रेजीडेन्ट्स, स्टाफ तथा अधिकारियों के सुरक्षा एवं कल्याणध की खातिर, आप भविष्य में ऐसा कोई अशोभनीय कदम उठाने से स्वयं को रोकें।"

गांधी के छात्रावास में जाने के एक दिन बाद, दिल्ली विश्वविद्यालय ने एक तीखा बयान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि "अचानक एवं अनाधिकृत" प्रदेश से छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों और स्वयं राहुल की सुरक्षा के लिये गंभीर खतरा पैदा हो गया था।

"नोट कहता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन परिसर में इस प्रकार घुस आने की घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा और सुनिश्चित करेगा कि इस तरह की घटना भविष्य में दोबारा ना हों।"

नैशनल स्टूडेंट्स यूनियन (एन.एस.यू.आई.) जो कांग्रेस की छात्र शाखा है, ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने दबाव में आकर राहुल के खिलाफ एक्शन लिया है। यद्यपि रजिस्ट्रार ने इस आरोप से इंकार किया और कहा कि कोई दबाव नहीं है यह तो सिर्फ अनुशासन को मामला है, लेकिन दिल्ली युनिवर्सिटी के उप कुलपति योगेश सिंह के करीबी सूत्रों ने कहा था कि देश के सर्वोच्च नेतृत्व ने राहुल के छात्रावास में आने पर नाराज़गी जताई थी।

योगेश सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी पर बी.बी.सी. की डॉक्युमैंट्री दिखाने की कुछ छात्र संगठनों की कोशिश की भी आलोचना की थी।

सिंह ने कहा था कि, डॉक्युमेंट्री के प्रदर्शन का उद्देश्य अराजकता व अनुशासनहीनता फैलाना।

मैं कैम्पस में ऐसे आचरण की अनुमति नहीं दूंगा। इसीलिए मामले की जांच के लिए एक सात सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था।

एन.एन.यू.आई. और भीम आर्मी स्टूडैंट फैडरेशन ने गत माह कहा था कि वे 2002 के गुजरात दंगों पर बनी डॉक्युमैंट्री "इंडिया: द मोदी क्वैश्चन" का दिल्ली युनिवर्सिटी के नॉर्थ कैम्पस में अलग-अलग समय पर प्रसारण करेंगे।

आदर्श घोटाले के ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चीफ जस्टिस, एम.एम. श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की खंडपीठ ने यह आदेश राहुल मोदी व अन्य की याचिका पर दिए। याचिका में सी.आर. पी.सी. की धारा 173 की संवैधानिक वैधता व उसके प्रावधानों को चुनौती दी गई है। याचिका में कहा है कि, उनके खिलाफ दर्ज प्रकरणों में एस.ओ.जी. को 60 दिन की तय अवधि में जांच पूरी करनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक जांच ही पूरी नहीं हो पाई है और सी.आर.पी.सी. की धारा 173 में जांच प्रक्रिया लंबित कर रखी है। इससे उनका डिफॉल्ट बेल का अधिकार प्रभावित होता है। इस मामले के एक अन्य आरोपी कमलेश चौधरी को डिफॉल्ट बेल मिल चुकी है। इसलिए उन्हें इस मामले में डिफॉल्ट बेल दी जाए। सुनवाई के दौरान केन्द्र सरकार के एडिशल सॉलिसिटर जनरल, आर.डी. रस्तोगी व राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कहा कि, आरोपियों को याचिका में सीधे तौर पर जमानत नहीं दी जा सकती। आरोपी केन्द्र सरकार के कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने की आड़ में अदालत से जमानत मांग रहे हैं। आरोपियों को जमानत याचिका के जरिए ही जमानत मांगनी चाहिए। इसलिए आरोपियों की याचिका खारिज की जाए। अदालत ने पक्षकारों की बहस सुनकर याचिका में फैसला बाद में देना तय किया है।

'पहली बार आर.पी.एस.सी. मेंबर गिरफ्तार हुआ, इसके...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में रहकर ही मुद्दे उठाते रहेंगे, क्योंकि इस बार उनकी यात्रा के पोस्टर में महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू,इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के फोटो तो हैं, लेकिन, पार्टी अध्यक्ष मलिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के फोटो नहीं हैं, और ना ही हाथ का निशान है। ऐसे में भविष्य की योजनाओं को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं।

वैसे अभी तक पायलट की यात्रा को लेकर कांग्रेस की ओर से किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन यात्रा शुरू होने के बाद मीडिया द्वारा पूछे जाने पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि, यह उनकी निजी यात्रा है, पार्टी से कोई इजाजत नहीं ली है। डोटासरा बोले कि, पार्टी का वही कार्यक्रम है जिसमें अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी का चुनाव चिन्ह हो।

वहीं, दिल्ली में शुक्रवार को राजस्थान के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, तीनों सह प्रभारी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के साथ बैठक करने वाले हैं, जिसमें निश्चित तौर पर सचिन पायलट की ओर से किए गए अनशन और अब पांच दिन यात्रा को लेकर चर्चा होगी। उसके बाद पार्टी की ओर से कोई रिएक्शन देखने को मिल सकता है।

अजमेर पहुँचने पर रेल्वे स्टेशन पर पायलट बोले, यह जन संघर्ष यात्रा जनता के बीच जाने और उसकी बात सुनने की यात्रा है। अजमेर में हुई जनसभा में सचिन पायलट ने कहा कि, पिछली सरकार में करप्शन के मुद्दे पर वसुंधरा राजे को हमने ललकारा था, उसके बाद कांग्रेस सत्ता में आई। जनसभा में पायलट ने पिपली के मुद्दे पर निशाना साधते हुए कहा कि, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर लीक हुए। नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया। पहली बार कोई आरपीएससी मेंबर गिरफ्तार हुआ है, लेकिन क्या इसके तार और कहीं तक

- **दिल्ली में कल रंधावा लेंगे सह प्रभारियों की बैठक, डोटासरा भी होंगे शामिल, राजस्थान पर महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है।**

जुड़े हुए हैं ? यह कहते हुए एक तरह से पायलट ने फिर सीधे-सीधे मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, मैंने जब इस पर सवाल उठाया तो कहा गया, कोई नेता, अफसर शामिल नहीं है। जब पिपली के किसी दलाल पर बुलडोज़र चल सकता है तो इस आरपीएससी मेंबर कटारा के मकान पर पर बुलडोज़र क्यों नहीं चल सकता?

इसी के साथ उन्होंने कहा कि, वसुंधरा राजे के कार्यकाल में लगातार भ्रष्टाचार हुआ। हम लोगों ने वसुंधरा को ललकारा। हमने चैलेंज किया कि, आपके पास बहुमत हो सकता है, आपके पास राज हो सकता है, लेकिन जनता को लूटने का लाइसैंस आपके पास नहीं है। मैंने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए राज्य की सरकार पर आरोप लगाए। हमारी पार्टी के तमाम नेताओं ने आरोप लगाए। गहलोत साहब ने भी आरोप लगाए कि बजरी माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया द्वारा लगातार लूट हुई।

हालांकि पायलट के अनशन और अब 5 दिन की यात्रा के बाद कहा जा रहा है कि, पायलट कोई और रास्ता अपना सकते हैं, लेकिन पायलट ने अपनी जन संघर्ष यात्रा के दौरान हुई सभा में पार्टी लाइन को ही पकड़े रखा और कहा कि कर्नाटक में 40 की सरकार है, भाजपा की सरकार को कर्नाटक में हराकर कांग्रेस इसलिए जीत रही है। वहां पर हमने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया और कर्नाटक में भाजपा सरकार की विदाई तय है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग भवन के बाहर हुई पायलट की सभा के बाद जनसंघर्ष यात्रा शुरू हुई। पायलट आज 25 किलोमीटर चले। पहले दिन की यात्रा तोलामल गांव बस स्टैंड पर खत्म हुई। इससे पूर्व सभा में पहुँचने पर ब्राह्मण समाज के बैनर तले पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पायलट का स्वागत किया। जनसभा और पदयात्रा में पायलट खेमे के विधायक शामिल नहीं हैं। पिछले महीने जयपुर में हुए अनशन में भी ये विधायक शामिल नहीं हुए थे। हालांकि अजमेर के प्रमुख नेताओं में अजमेर उत्तर से कांग्रेस उम्मीदवार रहे महेंद्र सिंह रलावता, अजमेर दक्षिण से कांग्रेस उम्मीदवार हेमंत भाटी,जिला कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन और अजमेर के पूर्व महापौर कमल बाकोलिया सहित कई पार्षद यहां मौजूद रहे। वहीं, मंच पर पूर्व विधायकों में डॉ परम नवदीप सिंह, भीमराज भाटी, महेंद्र गुर्जर, रामनारायण गुर्जर मौजूद थे।

पहले दिन यात्रा का समय दोपहर को था, ऐसे में कड़ी चिलचिलाती धूप के बीच जब यात्रा प्रारंभ हुई तो अजमेर - जयपुर राजमार्ग पर दोनों लेन में बड़ा जाम लग गया, क्योंकि आगे सचिन पायलट सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा कर रहे थे और पीछे-पीछे गाड़ियां साथ चल रही थी। ऐसे में किशनगढ़ बाईपास से जब यात्रा ने किशनगढ़ में प्रवेश किया, तब तक बाईपास पर लंबा जाम लगा रहा। यात्रा की शुरुआत में इतनी भीड़ नहीं जुटी लेकिन यात्रा जब किशनगढ़ में पहुंची तो अच्छी भीड़ हो गई। यहां पायलट ने यात्रा के दौरान चल रही एक बस पर खड़े होकर नुक्कड़ सभा को संबोधित भी किया और यहां भी उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर निशाना साधा।

'राजनीति ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जहां कार से आरपीएससी होते हुये सभा स्थन पर पहुंचे। सभा में विजय जैन, नसीराबाद से पूर्व विधायक रामनारायण गुर्जर, महेन्द्र सिंह रलावता, पूर्व विधायक महेन्द्र सिंह गुर्जर , कमल बाकोलिया, हेमंत भाटी व शहर के कुछ पार्षदगण मौजूद रहे।

राष्ट्रदूत हिन्दु संयुक्त परिवार की ओर से सोमेश शर्मा द्वारा ज्वाईन्ट मीडिया, आजाद मार्ग, मैन रोड, आयड, उदयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 57928/93 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513 कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371 अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन 226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908